Government of India
भारत सरकार
Ministry of Finance Department of Revenue
वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग
OFFICE OF THE ASSISTANTCOMMISSIONER OF CENTRAL TAX, CGST & CX, BISHNUPUR DIVISION KOLKATA SOUTH COMMISSIONERATE, CENTRAL GST BHAWAN, 180, SHANTIPALLY, RAJDANGA MAIN ROAD, R.B. CONNECTOR (5TH FLOOR), KOLKATA- 700107

C.No.V(30)6-CE/Tech/BPD/Kol-V/Misc Report/2014 2832 Dated: 08.01. 2018

To
Shri Praveen Jain
201A, Aadiswar Society
Sector-9,Vashi, Navi Mumbai,
Pin 400703

Dear Sir,

Sub: Furnishing of Information under RTI Act, 2005 – reg.

Please refer to your RTI application dated 14/09/2017 which has been forwarded to this office under Section 6(3) of RTI Act, 2005 by the Assistant Commissioner & CPIO, Kolkata South CGST & CX Commissionerate, Kolkata on the above subject.

The information sought for at point no. 4 raised in your RTI application is given bellow

As per the available office record in this office there is no such instruction/check list issued for making bilingual banner and name plate for GST awareness programme

If you are aggrieved or dissatisfied with the reply, you are at liberty to prefer First Appeal within the stipulated time i.e. 30 (thirty) days from the receipt of this reply before Shri.Debojit Bose, Additional Commissioner & 1st Appellate Authority under RTI Act, 2005, CGST & CX, Kolkata South Commissionerate, GST Bhawan, 180 Rajdanga Main Road, Shantipally, Kolkata-700107.

This is for information please.

Yours sincerely,
09/01/2018
(Pandiyaraj G V)
CPIO & Assistant Commissioner
CGST &CX,Bishnupur Division,
Kolkata South Commissionerate

C.NO. As above 2833 Dt. 10.01.2018

Copy forwarded to the Assistant/Deputy Commissioner & CPIO, CGST & CX, Kolkata South Commissionerate.

09/01/2018
(Pandiyaraj G V)
CPIO & Assistant Commissioner
CGST &CX,Bishnupur Division,
Kolkata South Commissionerate

a/c

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	CBECE/R/2017/51222	**Date of Receipt :**	14/09/2017
Type of Receipt :	Online Receipt	**Language of Request :**	Hindi
Name :	प्रवीण जैन	**Gender :**	Male
Address :	201अ, आदीश्वर , सोसाइटी, सेक्टर-9 अ, , वाशी, नवी मुंबई , Pin:400703		
State :	Maharashtra	**Country :**	India
Phone No. :	Details not provided	**Mobile No. :**	+91-9819983708
Email :	cs.praveenjain@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Urban	**Education Status :**	
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	10)	**Mode of Payment**	Payment Gateway
Request Pertains to :			
Information Sought :	आवेदन संलग्न है . कृपया बिन्दुवार सूचनाएं केवल हिंदी में और 30 दिनों के भीतर प्रदान करने का कष्ट करें.		

Print Save Close

14 सितम्बर 2017 (हिंदी दिवस)

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड),
मुख्यालय, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आवेदन

महोदय/महोदया,

कृपया इस आवेदन के सम्बन्ध में सभी प्रकार का संवाद <u>केवल हिंदी</u> में करें, तथ्यपरक बिन्दुवार सूचनाएँ प्रदान करने का कष्ट करें:

1. पिछले 6 महीनों में बोर्ड, मुख्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर ("वसेक") सम्बन्धी कितनी प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र और कार्यालयीन आदेश द्विभाषी रूप में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में अलग-२ संख्या बताएँ. ये सभी प्रपत्र कहाँ देखे जा सकते हैं?
2. बोर्ड की वस्तु एवं सेवा कर सम्बन्धी ऑनलाइन सेवाएँ जैसे **पंजीकरण एवं विवरणी दाखिल करना (रिटर्न)** द्विभाषी इंटरफेस के साथ शुरू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाया गया है? यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है तो साफ़ साफ़ लिखकर बताएँ.
3. बोर्ड की निम्नलिखित वेबसाइट/पोर्टल/वेबपेज सिर्फ अंग्रेजी में हैं जो राष्ट्रपति के आदेशों का खुला उल्लंघन है:
   http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/index
   https://www.cbec-gst.gov.in/
   https://www.gst.gov.in/
   http://www.gstn.org/
   http://www.gstcouncil.gov.in
   इन पाँचों को बनाने का कार्य किस अधिकारी/टीम को सौंपा गया है, नाम/पदनाम/ईमेल प्रदान करें, और कब सौंपा गया है सूचित करें. इन पाँचों वेबसाइट/वेबपेज को राजभाषा हिंदी में बनाने के लिए की कार्रवाई की विस्तृत सूचना दें.
4. बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों को वसेक जागरूकता के आयोजित संगोष्ठी/सेमिनार/आयोजनों के द्विभाषी बैनर और द्विभाषी मेज नामपट बनवाने के लिए बनाए जाँच बिंदुओं की सूची दें और जारी किए गए निर्देश की प्रतिलिपि दें.
5. बोर्ड द्वारा वस्तु एवं सेवा कर सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र किस भाषा में जारी किए जाते हैं, एक-२ नमूना उपलब्ध करवाएं.
6. बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या क्या है? इनमें से कितने अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है? और कितने अधिकारियों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है?
7. बोर्ड के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग/आईटी टीम के अधिकारियों के नाम, पदनाम और उनके आधिकारिक ईमेल पते बताएँ? इनमें से कितने अधिकारी अपना कार्य राजभाषा हिंदी में करने में सक्षम हैं?
8. बोर्ड के सामाजिक माध्यम दल (ट्विटर/फेसबुक पर नवीन सूचनाएँ डालने वाले) के अधिकारियों के नाम, पदनाम और उनके आधिकारिक ईमेल पते बताएँ? इनमें से कितने अधिकारी अपना कार्य राजभाषा हिंदी में करने में सक्षम हैं?
9. वसेक परिषद/जीएसटी परिषद की सभी पिछली बैठकों के बैनर/मेजनामपट केवल अंग्रेजी में बनवाए गए, इन बैनर/मेजनामपट को बनवाने की मंजूरी देने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल पता सूचित करें.

धन्यवाद सहित,

आवेदक:

प्रवीण जैन